(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054.

दिनांकः **23/11/2011**

अधिसूचना

सं.शि0नि0 / 23(462) / स्कू0–शा0 / 10 / 17 - 33 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल–शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :** (1) ये नियम दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

(3) ये नियम समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तृत होंगे ।

भाग–I

प्रारम्भिक

2. **परिभाषाएं :**–इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' का अर्थ है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35)।

(ख) ''नियत तिथि'' से राजपत्र में यथा अधिसूचित वह तारीख अभिप्रेत है जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है।

(ग) ''अध्याय'', ''धारा'' तथा ''अनुसूची'' का अर्थ क्रमशः अधिनियम के अध्याय, धारा तथा अनुसूची से होगा।

(घ) ''निदेशक'' का अर्थ है शिक्षा निदेशक, दिल्ली तथा इसमें ऐसा अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है जिसे उसके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के सभी या किसी कार्य का निष्पादन करने के लिये अधिकृत किया गया है।

(ङ) ''जिला शिक्षा अधिकारी'' का अर्थ है उप शिक्षा निदेशक, दिल्ली जो किसी जिले का प्रभारी या इस आशय के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

(च) ''विद्यार्थी का संचित रिकार्ड'' का अर्थ है विद्यार्थी के विस्तृत एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर, प्रगति का रिकार्ड।

(छ) स्कूल मैपिंग **(School Mapping)** का अर्थ है भौगोलिक दूरी तथा सामाजिक अवरोधों को समाप्त करने के लिए स्कूल की अवस्थिति का नियोजन।

(ज) ''सरकार'' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार।

(झ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का अर्थ है स्थानीय प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित प्राधिकारी।

(ञ) ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ।

(2) इन नियमों में ''प्रारूपों'' के सभी संदर्भों को इसके साथ संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित प्रारूपों के संदर्भ में देखा जायेगा।

(3) यहां उल्लिखित तथा अधिनियम में परिभाषित न किये गये सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है।

भाग–II

विद्यालय प्रबंध समिति

3. **विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना एवं कृत्य** :–(1) विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) का गठन गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा तथा इसमें 16 से कम सदस्य नही होंगे। इसका गठन इन नियमों के लागू होने के छह माह के भीतर होगा तथा प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्गठन किया जायेगा।

प्रावधान है कि इस समिति की पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होगीं।

यह भी प्रावधान है कि इसमें अलाभप्रद समूह तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के माता–पिता/संरक्षकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा।

प्रावधान है कि समिति का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा स्तर तक सीमित होगा।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत विद्यार्थियों के माता–पिता या संरक्षकों से होगा।

(3) विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगाः–

(क) समिति का एक सदस्य स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा;

(ख) स्कूल का प्रधान समिति का सदस्य होगा;

(ग) समिति का एक सदस्य स्कूल का अध्यापक होगा जिसका विनिश्चय स्कूल के अध्यापक करेंगे;

(घ) एक सदस्य, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा सामाजिक कार्यकर्ता होगा।

(4) निम्न स्कूल अध्यापकों को विशेष आमंत्रित के रूप में विद्यालय प्रबंध समिति में सम्मिलित किया जायेगाः–

(**i**) एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक

(**ii**) एक विज्ञान अध्यापक

(**iii**) एक गणित अध्यापक

(5) विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यों की व्यवस्था के लिए विद्यालय का प्रधानाचार्य इसका पदेन अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष अभिभावक सदस्यों से होगा। विद्यालय अध्यापक सदस्य, समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

(6) उक्त समिति की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार होगी तथा बैठक के विनिश्चय का कार्यवृत्त समुचित रूप से अभिलिखित किया जायेगा और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) उक्त समिति, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :–

(क) उक्त समिति,विद्यालय के आस–पास में रहने वाली जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में, अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों, स्कूल, संरक्षकों तथा माता–पिता के कर्त्तव्यों के बारे में, जानकारी प्रदान करेगी;

(ख) अधिनियम की धारा 24 तथा धारा 28 के खंड (क) तथा (ङ) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी;

(ग) इस बात के लिए निगरानी करेगी कि अध्यापकों पर अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा गैर शैक्षिणिक कार्यों का भार न डाला जाए।

(घ) विद्यालय के आसपास के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा लगातार उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों तथा मानकों के बनाये रखने को मॉनिटर करना।

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2)

के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्व उपबंध को सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना।

(छ) अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की आवश्यकताओं की पहचान करना, योजना तैयार करना तथा निगरानी करना।

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान तथा नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और माध्यमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना।

(झ) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(8) यदि उक्त समिति को अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एक पृथक खाते में रखा जायेगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी।

(9) उपनियम (8) में उल्लिखित लेखा पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा संयोजक के हस्ताक्षर होंगे और तैयार करके एक माह के भीतर निधि प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सौंपा जायेगा।

4. **विद्यालय विकास योजना तैयार करना** :—(1) विद्यालय प्रबंध समिति, अधिनियम के अधीन गठित प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसके अन्तर्गत तीन वार्षिक उपयोजनाएं तैयार की जायेंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगें, अर्थात् :—

(क) प्रतिवर्ष का कक्षा—वार नामांकन अनुमान।

(ख) कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए अलग—अलग अतिरिक्त अध्यापकों, जिसमें विषय के अध्यापक तथा अंशकालिक अध्यापक आदि भी शामिल है, की आवश्यकता, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार होगा।

(ग) अतिरिक्त अवसंरचना एवं उपकरणों की वास्तविक आवश्यकता, जिसका परिकलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों तथा मानकों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) उक्त (ख) तथा (ग) के विषय में वित्तीय आवश्यकताएं, इसमें अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा हेतु अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों तथा वर्दी की पात्रता एवं अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता भी शामिल है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे तथा रिपोर्ट तैयार करके संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

भाग–III

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

5. **विशेष प्रशिक्षण** :–(1) सरकार अथवा स्थानीय अधिकारी के स्वामित्वाधीन एवं प्रबंधनाधीन विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति ऐसे बच्चों की पहचान करेगी जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है तथा प्रशिक्षण का आयोजन निम्न रूप में करेगी, अर्थात् :–

(क) विशेष प्रशिक्षण, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा।

(ख) विशेष प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर में या सुरक्षित आवासीय सुविधा स्थानों पर लगाई जाने वाली कक्षाओं में दिया जायेगा।

(ग) यह प्रशिक्षण स्कूल में कार्यरत अध्यापकों या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(घ) प्रशिक्षण की अवधि कम से कम तीन माह होगी, जिसे समय–समय पर शिक्षा में प्रगति के आधार पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, आयु संगत कक्षा में प्रवेश देने के पश्चात् अध्यापक उस बच्चे पर विशेष ध्यान देंगे ताकि वे शैक्षणिक तथा भावनात्मक रूप से दूसरे विद्यार्थियों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ सकें।

भाग–IV

सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण के कार्य एवं उत्तरदायित्व

6. आस पास का **क्षेत्र तथा सीमाएं :–** (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले विद्यालय का आस–पास का क्षेत्र या सीमाएं इस प्रकार होंगी :–

(क) प्रथम श्रेणी से पांचवीं श्रेणी तक के बच्चों के संबंध में कोई विद्यालय, जहां तक संभव हो, बच्चे के आवास के एक किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाएगा।

(ख) छठी श्रेणी से आठवीं श्रेणी तक के बच्चों के संबंध में, कोई विद्यालय, जहां तक संभव हो, बच्चे के आवास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाएगा।

(2) जहां कहीं अपेक्षित हो, सरकार प्रथम श्रेणी से पांचवीं श्रेणी वाले विद्यमान विद्यालय में छठी श्रेणी से आठवीं श्रेणी को शामिल करके दर्जा बढ़ा सकती है। जो विद्यालय छठी श्रेणी से प्रारंभ होते है, उन विद्यालयों में जहां कहीं अपेक्षित हो, प्रथम श्रेणी से पांचवीं श्रेणी जोड़ने के लिये प्रयत्न कर सकती है। सरकार, समय–समय पर स्थानीय प्राधिकरण को विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

(3) अधिक घनत्व आबादी वाले क्षेत्रों में, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसे स्थानों में 6–14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक समीपवर्ती विद्यालय स्थापित करने के लिये विचार कर सकती है।

(4) सरकार/स्थानीय प्राधिकरण उस/उन समीपवर्ती विद्यालय/विद्यालयों की पहचान करेगी जिसमें बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक निवासी के लिये ऐसी सूचना सार्वजनिक करेगी ।

(5) निःशक्तताग्रस्त बच्चों के संबंध में, जो निःशक्तता उन्हें विद्यालय जाने से रोकती है, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिये उपयुक्त तथा निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध कराऐंगे ।

(6) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार बच्चों के प्रवेश के बाधक न बने।

(7) **सरकार का शैक्षणिक उत्तरदायित्व** :–सरकार माध्यमिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति के विकास हेतु किसी शैक्षणिक प्राधिकरण को अधिसूचित करेगी।

8. **सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का उत्तरदायित्व** :– (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (1) में संदर्भित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा कोई बच्चा, धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (**ii**) में संदर्भित किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा कोई बच्चा तथा धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (**III**) और (**IV**) में संदर्भित किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा बच्चा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री और वर्दी पाने का हकदार होगा।

तथा निःशक्तताग्रस्त बच्चे को निःशुल्क विशेष शिक्षण और सहायक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी।

व्याख्या : धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त किसी बच्चे तथा धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त किसी बच्चे के संबंध में निःशुल्क पात्रता उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (**II**) में और धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (**III**) एवं (**IV**) में संदर्भित विद्यालय का होगा।

(2) स्थानीय प्राधिकरण, अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर तथा इसके बाद प्रति वर्ष समीपवर्ती विद्यालयों के निर्धारण और स्थापना के प्रयोजनार्थ सभी बच्चों की पहचान का कार्य प्रारंभ करेगा, जिसमें दूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चे, अपंगता/निःशक्तताग्रस्त बच्चे, अलाभप्रद समूह से संबंधित बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चे और धारा 4 में संदर्भित बच्चे शामिल हैं।

(3) सरकार/स्थानीय प्राधिकरण सुनिश्चित करेगी/करेगा कि विद्यालय में कोई भी बच्चा जाति, श्रेणी, धर्म या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के अध्यधीन नहीं हो ।

(4) धारा 8 के खंड (ग) तथा धारा 9 के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ सरकार/स्थानीय प्राधिकरण सुनिश्चित करेगी/करेगा कि कमजोर वर्ग से संबंधित किसी बच्चे, अलाभप्रद समूह से संबंधित किसी बच्चे तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कक्षा कक्ष में, मध्याह्न भोजन के दौरान, क्रीड़ा स्थलों में, सार्वजनिक पेयजल और शौचालय सुविधाओं के प्रयोग में अलग न रखा जाए या उनके विरूद्ध भेदभाव न किया जाए।

9. **स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अभिलेख का रखरखाव :–** (1) स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्र में बच्चों के जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु होने तक सभी बच्चों का घर–घर जाकर सर्वेक्षण कराके अभिलेख का रखरखाव करेगा।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख का प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से रखा जाएगा और धारा 9 के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख प्रत्येक बच्चे के संबंध में होगा, इसमें ––

(क) नाम, लिंग, जन्मतिथि, जन्म स्थान

(ख) माता–पिता/संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र जिसमें बच्चा जाता है ।

(घ) माध्यमिक विद्यालय जिसमें बच्चे का प्रवेश हुआ है ।

(ङ) बच्चे का वर्तमान पता

(च) कक्षा जिसमें बच्चा पढ़ रहा है (6–14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिये) और यदि स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में शिक्षा छोड़ दी हैं, तो इस प्रकार शिक्षा छोड़ने का कारण

(छ) क्या बच्चा कमजोर वर्ग से संबंधित है?

(ज) क्या बालक (**i**) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या (**ii**) आयु अनुसार समुचित प्रवेश, और (**iii**) निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है।

(5) स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त सभी बच्चों के अभिलेख प्रत्येक विद्यालय में बनाए जायें।

भाग–V

विद्यालयों तथा अध्यापकों के उत्तरदायित्व

10. **कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद समूह से संबंधित बच्चों का प्रवेश** :– (1) धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (**iii**) एवं (**iv**) में संदर्भित विद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि

धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश प्राप्त बच्चों को कक्षा कक्षों में अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जाएगा और अन्य बच्चों के लिए लगाई गई कक्षाओं से उनकी कक्षाएं भिन्न स्थानों और भिन्न समय पर नहीं होगी ।

(2) धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (**iii**) एवं (**iv**) में संदर्भित विद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश पाए बच्चों को शेष बच्चों की तुलना में किसी भी प्रकार से पाठ्य पुस्तक, वर्दी, पुस्तकालय, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएं, पाठ्येत्तर गतिविधियों और खेलकूद जैसी हकदारियों एवं सुविधाओं के संबंध में विभेद नहीं किया जाएगा।

(3) नियम 6 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आसपास का क्षेत्र या सीमाएं धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार दिये गए प्रवेश पर लागू होगी।

शर्त यह है कि सरकार धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) में संदर्भित बच्चों के लिये स्थानों का अपेक्षित प्रतिशत भरने के प्रयोजनों के लिये समय–समय पर आसपास की सीमाओं का विस्तार निर्धारित कर सकती है।

(4) सरकार, धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत बच्चों के प्रवेश की पद्धति को समय–समय पर जारी सरकारी अधिसूचना से निश्चित कर सकती है।

11. **सरकार द्वारा खर्च किए गये प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति** :– धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (1) में संदर्भित सभी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की कुल संख्या से विभाजित ऐसे सभी विद्यालयों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा पर सरकार द्वारा किया गया कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, चाहे उसकी अपनी निधियों में से हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध निधियों में से हो या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा, सरकार द्वारा खर्च किया गया व्यय प्रति बच्चा होगा।

व्याख्या : प्रति बच्चा व्यय निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (**ii**) में संदर्भित विद्यालयों पर सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तथा ऐसे विद्यालयों में नामांकित बच्चों पर खर्च किया गया व्यय शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (**iii**) एवं (**iv**) में संदर्भित प्रत्येक विद्यालय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि के लिए एक अलग बैंक खाता रखेगा ।

(3) धारा 12 के उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये उनके दायित्वों की पूर्ति करते रहेंगे और उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक (सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी) शिक्षा की संपूर्ति तक, जैसी भी स्थिति हो, और अपने दायित्व की सीमा के लिये प्रतिपूर्ति पाने के लिये हकदार नही होंगे।

12. **आयु प्रमाण के दस्तावेज** :—जहां जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र अधिनियम 1866 के अन्तर्गत जन्म प्रमाण उपलब्ध नहीं है, वहां निम्नलिखित प्रलेखों में से किसी भी एक प्रलेख को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजन के लिये बच्चे की आयु का प्रमाण मान लिया जाएगा ——

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई(ए.एन.एम.) का रजिस्टर अभिलेख;
(ख) आंगनबाड़ी अभिलेख;
(ग) माता पिता या संरक्षक द्वारा बच्चे की आयु की घोषणा।

13. **प्रवेश के लिये बढ़ाई गई अवधि** :— (1) प्रवेश के लिये बढ़ाई गई अवधि किसी विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने की तिथि से पांच माह होगी।

(2) जहां बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में किसी बच्चे को प्रवेश दिया गया है, वहां वह विशेष प्रशिक्षण, विद्यालय के प्रधान द्वारा यथानिर्धारित की गई सहायता से अध्ययन पूर्ण करने के लिये योग्य होगा/होगी।

14. **विद्यालयों को मान्यता** :—(1) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, के स्वामित्व में या नियंत्रित किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय जो इस अधिनियम के आरंभ से पहले स्थापित या चल रहा था, अधिनियम की धारा 18 के अनुसार मान्यता प्राप्त माना जाएगा। परन्तु, ऐसा हर एक विद्यालय, इन नियमों की अधिसूचना के दो माह के भीतर प्रपत्र—1 (क) में सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी को इसके अनुपालन संबंधी या अन्यथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट निम्न मानकों एवं मानदंडों के बारे में स्व—घोषणा करेगा, अर्थात् :—

(क) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत किसी समिति या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत गठित किसी सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय;
(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या एसोसिएशन या कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा लाभ के लिए न संचालित किया विद्यालय;
(ग) संविधान में उल्लिखित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय;
(घ) विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिये प्रयुक्त किए जाते हैं।

(ङ) शिक्षा निदेशालय या स्थानीय प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये विद्यालय खुला है।

(च) विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन तथा सूचना प्रस्तुत करे जो समय–समय पर अपेक्षित हो और विद्यालय की मान्यता बने रहने की शर्त की पूर्ति या विद्यालय की कार्य प्रणाली में त्रुटियां दूर करने के लिये जारी किए गए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है।

(2) प्रपत्र–1 (क) में प्राप्त प्रत्येक स्व–घोषणा पत्र की संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी।

(3) वार्षिक निरीक्षण या अन्यथा के दौरान यदि संबंधित अधिकारी यह पाता है कि विद्यालय, उपनियम (1) में उल्लिखित मानदंडों मानकों एवं शर्तों के अनुरूप नहीं है लेकिन प्रपत्र 1(क) स्व–घोषणा पत्र में यह घोषणा की गई है कि यह मानदण्डों एवं मानकों के अनुरूप है, तो जिला शिक्षा अधिकारी उचित कार्यवाही करेगा ।

(4) वे विद्यालय जो इस अधिनियम के आरंभ के तीन वर्षों के भीतर उपनियम (1) में उल्लिखित मानकों, मानदंड़ों एवं शर्तों का पालन नहीं करेंगे, कार्य करना बंद कर देंगे।

(5) अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी विद्यालय के अतिरिक्त गैर मान्यता प्राप्त विद्याालय मान्यता के लिए अर्हता के उद्देश्य से उपनियम (1) में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्तों का पालन करेंगे। ऐसे विद्यालय शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रपत्र–1 (ख) में मान्यता हेतु आवेदन करेंगे। मानकों, मानदंडों एवं शर्तों के अनुरूप पाए गए विद्यालयों को प्रपत्र–2 में समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी जाएगी। यदि आवेदन को रद्द किया जाता है, तो आवेदक को उसके रद्द करने का कारण बताया जाएगा।

15. **विद्यालय की मान्यता वापस लेना :–** (1) जहां संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अपने विवेक से अथवा किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी प्रतिवेदन पर लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने के लिए विश्वास करने का कारण है कि नियम 14 के

अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालय ने मान्यता देने की एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों एवं मानदण्डों को पूरा नहीं किया है तो उक्त अधिकारी निम्नलिखित रूप से कार्यवाही करेगाः–

(क) मान्यता देने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करेगा तथा एक माह के अन्दर इसका स्पष्टीकरण मांगेगा।

(ख) यदि स्पष्टीकरण अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप नहीं है अथवा निर्धारित समय–सीमा में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ऐसी कमेटी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करा सकता है

जिसमें तीन से पांच सदस्य होंगे जो उचित जाँच करेंगे तथा मान्यता जारी रखने के लिए अथवा वापस लेने के लिए अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट शिक्षा निदेशक को भेजेंगे जो मान्यता जारी रखने अथवा वापस लेने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, आदेश पारित कर सकता है।

मान्यता वापस लेने का कोई भी आदेश विद्यालय को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

उक्त अधिकारी द्वारा इस प्रकार का आदेश सरकार की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(2) मान्यता वापस करने के लिए पारित आदेश परवर्ती शैक्षणिक वर्ष से तुरन्त लागू होगा तथा नजदीकी विद्यालयों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें उस विद्यालय के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा।

भाग–VI

अध्यापक

16. न्यूनतम अर्हताएं :– अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताएं जो कि धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित धारा 2 के खंड (ढ़) में संदर्भित प्रत्येक विद्यालय में लागू होगी जबकि सरकार शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए धारा 23 के अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उच्च योग्यताएं निर्धारित कर सकती है।

17. अध्यापकों का वेतन तथा सेवा की शर्तें :– सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति में, अध्यापकों के व्यावसायिक तथा स्थायी संवर्ग सृजित करने के क्रम में अध्यापकों की सेवा की शर्तें तथा वेतन एवं भत्ते अधिसूचित करेगी।

18. अध्यापकों द्वारा कर्त्तव्यों का निर्वहन :– अध्यापक धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगाः–

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना;

(ख) पाठ्यक्रम तैयार करना तथा पाठ्यचर्या सवंर्धन, प्रशिक्षण मॉडयूलस तथा पाठ्य पुस्तक संवर्धन;
(ग) समय–समय पर सरकार द्वारा यथानिर्धारित कोई अन्य कार्य।

(2) अध्यापक प्रत्येक बच्चे के लिए छात्र संचयी अभिलेख की पत्रावली रखेगा जो कि माध्यमिक शिक्षा की संपूर्णता के लिए प्रमाण पत्र देने का आधार होगी।

19. **छात्र–अध्यापक अनुपात** :– विद्यालय में अध्यापकों का स्वीकृत संख्याबल सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, उस वर्ष 31 अगस्त तक बच्चों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए 31 दिसम्बर तक अधिसूचित किया जाएगा।

बशर्ते कि सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी अधिसूचना के तीन माह के भीतर, ऐसी अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत संख्या बल से अधिक संख्याबल रखने वाले स्कूलों के अध्यापकों को पुनः तैनात करेगी।

20. **अध्यापकों की शिकायतों का निवारण** :–सरकार समय–समय पर जारी अधिसूचना द्वारा अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित कर सकती है।

भाग–VII

पाठ्यक्रम तथा माध्यमिक शिक्षा का पूरा होना

21. शैक्षणिक प्राधिकरण :–(1) सरकार, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए एक शैक्षणिक प्राधिकरण अधिसूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरण पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करेगा–
(क) सुसंगत तथा आयु संगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा।
(ख) सेवा के दौरान अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन का संवर्धन; एवं
(ग) निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में लाने के लिए मार्गदर्शिका तैयार करेगा।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित शैक्षणिक प्राधिकरण नियमित आधार पर विद्यालय की गुणवत्ता के समग्र आकलन हेतु प्रक्रिया को अभिकल्पित व क्रियान्वित करेगा।

22. **प्रमाण पत्र प्रदान करना :–** (1) माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के एक माह के भीतर विद्यालय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में बच्चे का संचयी अभिलेख अतंर्विष्ट होगा।

भाग–VIII

बाल अधिकारों का संरक्षण

23. **दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कार्यों का निष्पादनः–** सरकार, अधिनियम के अन्तर्गत उसके कार्यों के निष्पादन में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को संसाधन सहायता उपलब्ध कराएगी।

24. **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायते दर्ज कराने का तरीका :–** राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अन्तर्गत बाल अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए बाल हैल्पलाइन का गठन करेगा। जिसकी मॉनीटरिंग पारदर्शी ऑन लाइन तंत्र के माध्यम से की जाएगी।

25. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन :–(1) राज्य सलाहकार परिषद् में (इसके पश्चात् परिषद् के रूप में संदर्भित) एक अध्यक्ष व चौदह सदस्य होंगे।

(2) शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(3) सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जो माध्यमिक शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हो।

(क) कम से कम तीन सदस्य वे व्यक्ति होगें जो क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो।

(ख) कम से कम एक सदस्य उन व्यक्तियों में से होगा जो कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा की विशेषज्ञता एवं व्यवहारिक अनुभव रखता हो।

(ग) एक सदस्य उन व्यक्तियों में से होगा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो।

(घ) कम से कम एक सदस्य उन व्यक्तियों में से होगा जो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं व्यवाहारिक अनुभव रखता हो।

(ङ) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :–

(**i**) सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
(**ii**) निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
(**iii**) निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली।
(**iv**) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

(च) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान परिषद् का सदस्य होगा।

(छ) एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

(ज) अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विद्यालय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(4) परिषद् यथापेक्षित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

(5) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

भाग–IX

विविध

26. अनुदेश जारी करने की शक्ति :– निदेशक, अगर उसे ऐसा लगता है, कि दिल्ली में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए यह आवश्यक है, तो वह किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है जो इन नियमों में समाहित नहीं है, जैसा वह उचित समझे।

27. शक्तियों का प्रत्यायोजन :– सरकार, अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत निदेशक अथवा किसी अन्य अधिकारी को नियमों के अन्तर्गत समस्त या उसकी कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

सुरेश

(सुरेश गुप्ता)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

सं.शि0नि0 / 23(462) / स्कू0–शा0 / 10 / 17-33 **दिनांक:** 23/11/2011
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

- सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- सचिव, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार।
- शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम, दिल्ली।
- निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- समस्त अतिरिक्त निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक शिक्षा / संयुक्त निदेशक शिक्षा / सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
- गार्ड फाईल।

सुरेश

(सुरेश गुप्ता)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

परिशिष्ट

प्रपत्र–1 (क)

मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिये स्व–घोषणा पत्र

(नियम 14 के उपनियम (1) को देखें)

सेवा में

शिक्षा निदेशक

शिक्षा निदेशालय,

दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ,

पुराना सचिवालय, दिल्ली.

महोदय

मैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009के अन्तर्गत निर्धारित मानकों एवं मानदंड़ों का अनुपालन करते हुए, स्व-घोषणा पत्र, (विद्यालय का नाम एवं पता) _____ _____ को मान्यता प्राप्त करने हेतु , जोकि शैक्षिणिक सत्र 20 .... – 20..... से प्रभावी है, प्रेषित करता हूँ ।

नोट : स्व - घोषणा पत्र भरने से पहले प्रबंधन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर सकते हैं।

क. विद्यालय का विवरणः		
1	विद्यालय आई डी संख्या सहित विद्यालय का नाम	
2	सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त विद्यालय	
3	मंडल एवं क्षेत्र (जोन)	
4	डाक का पता (पोस्टल पता)	
5	पिन कोड	
6	फोन संख्या	
7	फैक्स संख्या	
8	ई–मेल पता– यदि कोई है	
ख. सामान्य सूचनाः		
1	विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)	
2	विद्यालय चलाने वाले न्यास/सोसायटी का नाम	
3	क्या न्यास/सोसायटी के गैर स्वामित्व प्रकृति का कोई प्रमाण /सबूत संलग्न है ।	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)

4	क्या प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची उनके पते, योग्यता एवं व्यवसाय सहित संलग्न है।	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)
5	क्या प्रबंधन योजना(एस ओ एम)अनुमोदित है	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)
6	विद्यालय के प्रबंधक का विवरण	
	(क) नाम	
	(ख) पता	
	(ग) शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण संलग्न कीजिए)	
	(घ) अध्यापन अनुभव (वर्षों में) शिक्षा अधिकारी/सहायक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित	
	(ङ) प्रशासनिक अनुभव वर्षों में --- (च) दूरभाष संख्या	--- (कार्यालय) (आवास) (मोबाइल)

7 तुलन पत्र (किसी पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित) के अनुसार आय एवं व्यय (पिछले तीन वर्षों) का विवरण

वर्ष	आय	व्यय	आधिक्य/कमी

ग. विद्यालय का स्वरूप एवं क्षेत्रः

1	शिक्षा का माध्यम	
2	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश एवं अन्तिम कक्षा का उल्लेख कीजिए)	
3	यदि सहायता प्राप्त विद्यालय है तो जिस सरकार/अभिकरण/विभाग से सहायता राशि प्राप्त कर रहा है उसका नाम तथा सहायता राशि का प्रतिशत	
4	क्या विद्यालय सोसायटी द्वारा संचालित अपनी भूमि और भवन पर चल रहा है या भाड़े/पट्टे के भवन/भूमि पर चल रहा है?	स्वामित्व या भाड़े/पट्टे (चिह्न लगाईये)
5	क्या विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या खेल के मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के लिये किये जाते है?	हॉ/नहीं (चिह्न लगाईये)

घ. भूमि एवं भवन का विवरण (क्षेत्रफल वर्ग मीटर में):		
1. कक्षों की कुल संख्या		
2. कक्षा कक्षों की संख्या		
3. प्रधानचार्य /प्रधानाचार्या कक्ष		
4. स्टाफ रूम		
5. कार्यालय कक्ष		
6. भंडार कक्ष		
7. प्रयोगशाला, यदि कोई है		
8. क्या विद्यालय की चार दीवारी है? यदि नहीं, तो क्या विद्यालय में उपयुक्त बाड़ लगी हुई?		हाँ/नहीं (चिह्न लगाईये) हाँ/नहीं (चिह्न लगाईये)
9. विद्यालय का कुल क्षेत्रफल–भूमि, भवन एवं खेल के मैदान सहित		
10. निर्मित विद्यालय भवन का क्षेत्रफल		
11. विद्यालय भवन का कुल छतदार क्षेत्रफल (सभी तलों सहित)		
12. खेल के मैदान का क्षेत्रफल		
ङ. अन्य सुविधाएं		
1.	क्या सभी प्रकार की सुविधाएं बाधा रहित उपलब्ध होती है	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)
2.	पुस्तकालय	
	(i) पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या	
	(ii) समाचार पत्रों की संख्या (दैनिक अशंदान)	
	(iii) पत्रिकाओं की संख्या (मासिक अंशदान)	
3.	क्या खेल कूद एवं क्रीड़ा उपकरणों की सूची संलग्न है या नहीं?	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)
4.	(i) बालकों के लिये शौचालयों की संख्या	
	(ii) बालिकाओं के लिये शौचालयों की संख्या	
	(iii) निःशक्तताग्रस्त (बच्चों के लिए शौचालयों की संख्या)	

5.	क्या सभी बच्चों और स्टाफ को निरापद एवं पर्याप्त पेय जल सुविधा उपलब्ध है?	हाँ / नहीं (चिह्न लगाइये)
6.	क्या अध्यापन / शिक्षण सामग्री उपलब्ध है?	हाँ / नहीं (चिह्न लगाइये)
7.	क्या रसोई घर उपलब्ध है?	हाँ / नहीं (चिह्न लगाइये)

च. अध्यापक और विद्यार्थी अनुपात : विषय अध्यापकों की संख्या / विद्यार्थियों की संख्या

	(क) कक्षा 1 से V	अनुपातः
	(ख) कक्षा VI से VIII	अनुपातः
	नोटः अध्यापकों में प्रयोगशाला सहायक, कोच एवं लिपिकीय लेखा स्टाफ आदि शामिल नहीं है ।	

छ. अध्यापकों का विवरण : **संख्या**

	(क) प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	
	(ख) स्नातक अध्यापक	
	(i) अंग्रेजी	
	(ii) हिन्दी	
	(iii) संस्कृत या कोई अन्य भाषा (त्रिभाषा सूत्र के अनुसार)	
	(iv) विज्ञान	
	(v) सामाजिक विज्ञान	
	(vi) गणित	
	(ग) सहायक अध्यापक	
	(घ) शारीरिक शिक्षा अध्यापक	
	(ङ) कार्य शिक्षा अध्यापक	
	(च) कला शिक्षा अध्यापक	

ज. कक्षा वार विद्यार्थियों का नामांकनः

	कक्षा	अनुभागों की संख्या	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं अलाभप्रद समूह के कोटे के अन्तर्गत विद्यार्थियों की संख्या
	प्राथमिक पूर्व			
	I			
	II			
	III			
	IV			
	V			
	VI			

	VII			
	VIII			
	जोड़			
झ. शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस/पढ़ाई के घंटेः				
1.		(क) कक्षा 1 से V	कार्य दिवस की संख्या	
			पढ़ाई के घंटों की संख्या	
		(ख) कक्षा VI से VIII	कार्य दिवसों की संख्या	
			पढ़ाई के घंटे	
2.		प्रति सप्ताह अध्यापक के कार्य घंटों की संख्या	प्राथमिक अध्यापक	
			टीजीटी/पीजीटी	

1. यह वचनबद्व किया जाता है कि विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु खुला है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय समय–समय पर शिक्षा निदेशक द्वारा यथापेक्षित ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रदान करने के लिये वचनबद्व है और उपयुक्त प्राधिकारी या उप–शिक्षा निदेशक या शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों के अनुपालन के प्रति वचनबद्व है जो विद्यालय की मान्यता बनाए रखने एवं विद्यालय प्रणाली की त्रुटियां दूर करने के लिये आवश्यक है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विद्यालय का अभिलेख शिक्षा निदेशालय या उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण हेतु खुला रहेगा और विद्यालय सारी ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय / राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण या प्रशासन के अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो सकती है अथवा संसद/राज्य विधानसभा/पंचायत / नगर निगम, जैसी भी स्थिति हो, के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन के लिये आवश्यक है।

अनुलग्नकों की कुल संख्या :

स्थानः

दिनांकः

प्रबंधक के हस्ताक्षर

(मोहर सहित)

फार्म 1 (ख)

मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन

सेवा में

निदेशक
शिक्षा निदेशालय
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
पुराना सचिवालय, दिल्ली।

महोदय /महोदया,

मैं ———————————— (विद्यालय का नाम तथा पता) को मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रेषित कर रहा / रही हूँ । यह मान्यता विद्यालय की स्थापना वर्ष ..... से प्रभावी है ।

भवदीय / भवदीया

स्थानः

दिनांक :-

(अध्यक्ष / प्रबंधक विद्यालय प्रबंधन समिति के हस्ताक्षर)

मान्यता प्राप्ति के लिये प्रपत्र

1	सोसायटी / न्यास / एसोसिएशन का नाम					
2	मंडल का नाम जिसमें विद्यालय स्थित है					
3	क्षेत्र संख्या (जोन)जिसमें विद्यालय स्थित है					
4	पत्र व्यवहार के लिये विद्यालय का पता					
(चिह्नित क्षेत्र (*) को छोड़कर सभी क्षेत्र अनिवार्य)						
परिसर संख्या		गली संख्या *		सैक्टर *		
गांव		राज्य का नाम		पिन कोड		
5	क्या विद्यालय के लिये अनिवार्यता प्रमाण –पत्र (ई.सी.) जारी किया है (यदि हाँ तो अनिवार्यता प्रमाण –पत्र की प्रति संलग्न करें, यदि संस्थान अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें)					
6	मान्यता माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / उच्चतम माध्यमिक (विषय (स्ट्रीम) का उल्लेख करें) कहां तक वांछित है।					
7	सोसायटी / न्यास की पंजीकरण संख्या					
8	(क) विद्यालय के प्रबंधक का नाम					
	(ख) प्रबंधक का दूरभाष संख्या					
	(ग) प्रबंधक की शैक्षणिक योग्यता					
	(घ) प्रबंधक के अनुभव का विवरण (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) अध्यापन अनुभव ———— वर्ष प्रशासनिक अनुभव ———— वर्ष					
9	शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रबंधन योजना (एस ओ एम)के अनुमोदन के लिये पत्र जारी करने की तिथि					
10	विद्यालय परिसर की कुल क्षेत्रफल भूमि एवं भवन के समस्त प्रामाणिक दस्तावेजों सहित (केवल वर्ग मीटर में)					
	(i) क्या भूमि सोसायटी के स्वामित्व की है अथवा पट्टा आधार पर ली है					
	(ii) भवन एवं खेल के मैदान सहित विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल					
	(iii) केवल निर्मित विद्यालय भवन का क्षेत्रफल					
	(iv) केवल खेल के मैदान का क्षेत्रफल					
11	विद्यालय भवन में उपलब्ध कराया गया आवास (संख्या / संख्या क्रम)					

	(क) कक्षा –कक्षों की संख्या		
	(ख) पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष		
	(ग) जीव विज्ञान प्रयोगशाला		
	(घ) भौतिकी प्रयोगशाला		
	(ङ) रसायन विज्ञान प्रयोगशाला		
	(च) कम्प्यूटर प्रयोगशाला		
	(छ) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिये विज्ञान गतिविधि प्रयोगशाला		
	(ज) गणित गतिविधि प्रयोगशाला		
	(झ) सामाजिक विज्ञान गतिविधि प्रयोगशाला		
	(ञ) सभागार/हॉल		
	(ट) स्टाफ रूम		
	(ठ) प्रधानाचार्य के लिये कक्ष		
	(ड) कार्यालय कक्ष		
	(ढ) क्या समस्त सुविधाएं अवरोध रहित उपलब्ध हैं		
	(ण) विद्यालय में शौचालयों का विवरण: बाल बालिका विकलांग		
12	छात्रों की कुल संख्या		
13	क्या भर्ती नियमों के अनुसार विद्यालय द्वारा शिक्षित एवं योग्य स्टाफ भर्ती किया गया है?	हाँ/नहीं	
14	क्या विद्यालय छठे वेतन आयोग के अनुसार ई.सी.एस./क्रॉस चेक के माध्यम से अपने स्टाफ को वेतन का भुगतान करता है?	हाँ/नहीं	
15	क्या विद्यालय ने प्रतिभूति/प्रतिभूति रहित ऋण लिया है?	हाँ/नहीं	
16	पिछले तीन वर्षों का विद्यालय की आय एवं व्यय लेखों का विवरण।	आय	व्यय
	प्रथम वर्ष		
	द्वितीय वर्ष		
	तृतीय वर्ष		

17	क्या विद्यालय ने अपनी सहयोगी संस्था अथवा सोसायटी को किसी निधि का हस्तान्तरण किया है?	हाँ / नहीं		
18.	क्या विद्यालय ने मूल्य ह्रास का दावा किया है? यदि हाँ, मूल्य ह्रास सुरक्षित बैंक खाते का विवरण दें ।	हाँ / नहीं		
19.	अन्य सुविधाएं			
	सन्नियम	विद्यालय द्वारा दिये जाने वाला विवरण		
	(क) प्रत्येक कक्षा में उपलब्ध कराये गये डैस्कों, पंखों तथा ट्यूब लाइटों की संख्या	डैस्क	पंखें	ट्यूब लाइट
	(ख) पुस्तकालय	पुस्तकों की संख्या	पत्रिकाओं की संख्या	समाचार पत्रों की संख्या
	(ग) क्या शिक्षण सामग्री उपलब्ध है?	हाँ / नहीं		
	(घ) क्या रसोईघर है?	हाँ / नहीं		
20	च. अध्यापक और विद्यार्थी अनुपात : विषय अध्यापकों की संख्या / विद्यार्थियों की संख्या --- कक्षा I से V	अनुपातः ---		
	कक्षा VI से VIII			
	(नोट :– अध्यापकों में प्रयोगशाला सहायक, कोच एवं लिपिकीय / लेखा स्टाफ आदि सम्मिलित नहीं है)			
21	विभिन्न श्रेणियों में अध्यापकों की संख्या (क) मुख्य अध्यापक / मुख्य अध्यापिका			
	(ख) प्रशिक्षित स्नातकोत्तर अध्यापक / अध्यापिका (पी.जी.टी.)			
	(ग) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक / अध्यापिका (टीजीटी)			
	(i) अंग्रेजी			
	(ii) हिन्दी			
	(iii) विज्ञान			
	(iv) सामाजिक विज्ञान			
	(v) गणित			
	(घ) सहायक अध्यापक			
	(ङ) शारीरिक शिक्षा अध्यापक			

	(च) कार्य शिक्षा अध्यापक		
	(छ) कला शिक्षा अध्यापक		
	(ज) पुस्तकालाध्यक्ष (लाईब्रेरियन)		
22	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस/पढाई के घंटेः		
	(अ) (क) कक्षा I से V	कार्य दिवसों की संख्या	
		पढ़ाई के घंटों की संख्या	
	(ख) कक्षा VI से VIII	कार्य दिवसों की संख्या	
		पढ़ाई के घंटों की संख्या	
	(ब) प्रति सप्ताह अध्यापक के कार्य घंटों की संख्या		
23	क्या विद्यालय गैर अनुरूप क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, परिशिष्ट–1 के खंड (था) के अनुसार संबंधित एस.डी.एम.से प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं	

(प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/प्रबंधक के हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः

परिशिष्ट–1

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक (सभी अनिवार्य)

(क) विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची उनकी योग्यता, व्यवसाय तथा पता प्रलेखीय प्रमाण सहित ।

(ख) पंजीयक अधिकारी द्वारा जारी पंजीयक प्रमाण पत्र की प्रति।

(ग) विधिवत अनुमोदित/ रिकार्ड में उपलब्ध प्रबंधन योजना (एस .ओ. एम.) की प्रति।?

(घ) स्थानीय सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति, जो आवेदन पत्र की तिथि से छह माह से पहले न जारी किया हो।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी पीने योग्य पानी के प्रमाण पत्र की प्रति, जो आवेदन की तिथि से छह माह से पहले न जारी किया हो।

(च) सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं प्रचुर पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये विद्यालय द्वारा वचनवद्दता ।

(छ) सक्षम स्थानीय प्राधिकरण (दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्/दिल्ली विकास प्राधिकरण इत्यादि) का संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र/भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र/भवन संपूर्ति प्रमाण पत्र/अधिभोग प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि से एक वर्ष से पहले न जारी हुआ हो।

(ज) अग्निशमन विभाग/स्थानीय सक्षम प्राधिकरण के अग्नि सुरक्षा मानकों संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

(झ) सक्षम प्राधिकरण का अनुमोदित/स्वीकृत भवन मानचित्र या पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार भवन मानचित्र जो प्रत्येक कक्ष की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई दर्शाता हो।

(ञ) विद्यार्थियों का कक्षा वार नामांकन, फ्रीशिप स्थानों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह) के विद्यार्थियों की संख्या सहित।

(ट) परिशिष्ट–II के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में भर्ती किए गए अध्यापकों का विवरण दें ।

(ठ) वेतन बिल और बैंक खाता विवरण की प्रति जिसमें स्टाफ और अध्यापकों के वेतन चैकों की क्लीयरेंस दर्शाई हो।

(ड) संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा जारी ऋण प्रलेखों सहित पृथक पृष्ट पर ऋण का विवरण, जो विद्यालय ने इन संस्थाओं से लिया है ।

(ढ) पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) ।

(ण) विद्यालय द्वारा समिति को या किसी अन्य सहयोगी संस्था को हस्तांतरित निधि का विवरण।

(त) खेलकूद और क्रीडा उपकरणों की सूची ।

(थ) एस.डी.एम. द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र की प्रति कि विद्यालय की भूमि मूल ग्राम सभा/दिल्ली विकास प्राधिकरण/सुरक्षित वन क्षेत्र भूमि/वन भूमि से संबंधित नहीं है।

(द) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पत्र की प्रति जो यह पुष्टि कर रही हो कि विद्यालय ने क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत भूमि के विनियमितकरण के लिये आवेदन किया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

(ध) अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, जो संबंधित शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, यदि अध्यापक मानकों और नियमों के अनुसार आयु की छूट की मांग करता है।

नोटः उक्त लिखित सभी अनुलग्नकों की प्रतियां राजपत्रित अधिकारी एवं विद्यालय के प्रबंधक द्वारा प्रमाणित हों।

परिशिष्ट–II

दिनांक———————— को ———————— (सोयायटी/न्यास का नाम) द्वारा चलाए जा रहे ———————————— (विद्यालय का नाम) के स्टाफ सदस्यों (शिक्षण तथा गैर शिक्षण) की सूची।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	वेतनमान ग्रेड पे सहित	स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर योग्यता एवं अंकों का प्रतिशत	भर्ती की पद्धति	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति की तारीख को आयु (दिन——माह——— वर्ष)	क्या अस्थाई/परिवीक्षाधीन/स्थाई	यदि स्थाई है तो स्थाईकरण की तिथि का उल्लेख	विषय विशेषज्ञता	निवास का पता	अभ्युक्ति :– क्या शिक्षण अनुभव के आधार पर आयु सीमा छूट अपेक्षित है या नहीं ? यदि हाँ, विवरण दें तथा संबंधित शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अध्यक्ष /प्रबंधक के हस्ताक्षर

ई–मेल

प्रपत्र–II

फोनः

फैक्सः

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय

(मंडल / संघ राज्य क्षेत्र का नाम)

संख्या

दिनांक

सेवा में

प्रबंधक

....

....

विषयः- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 14 के उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक —————————— के आवेदन पत्र के संदर्भ में और विद्यालय के साथ अनुवर्ती पत्राचार / इस संबंध में निरीक्षण के आधार पर ,मैं ———————————————————— (विद्यालय का नाम व पता) को कक्षा—————— से कक्षा—————————— तक के लिये वर्ष 20.......... से 20...... तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान करने की सूचना देता /देती हूँ।

उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है:

1. मान्यता के लिये अनुमति बढ़ाई नहीं जा सकती है और विभाग किसी भी प्रकार से कक्षा VIII के उपरान्त मान्यता / सम्बद्व करने के लिये बाध्य नहीं है ।

2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 और दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा ।

3. विद्यालय प्रथम श्रेणी में (या प्रवेश कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो) उस कक्षा की संख्या के 25 प्रतिशत तक समीपवर्ती क्षेत्रों में कमज़ोर वर्ग और अलाभप्रद वर्ग से सम्बन्धित बच्चों को प्रवेश देगा और माध्यमिक शिक्षा के पूरे होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगा ।

4. अनुच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिये अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक अलग से बैंक खाता खोलेगा ।

5. सोसायटी/विद्यालय किसी प्रकार का कैपीटेशन शुल्क एकत्रित नहीं करेगी/करेगा और न ही बच्चा या उसके माता–पिता या संरक्षक किसी प्रकार की जांच पद्धति के अधीन होंगे ।

6. विद्यालय आयु प्रमाण के आधार पर किसी बच्चे के प्रवेश के लिये मना नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा । विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–

(i) विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा की पूर्ति होने तक प्रवेश किये गए किसी भी बच्चे को किसी श्रेणी में अवनत नहीं किया जाएगा या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा ।

(iii) माध्यमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित नहीं होगी ।

(iv) माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 22 में उल्लिखित प्रमाण–पत्र दिया जाएगा ।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार विशेष आवश्कताओं वाले बच्चें / निःशक्तताग्रस्त बच्चें शामिल हों ।

(vi) अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत यथानिर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं वाले अध्यापक भर्ती किये गये हैं । आगे शर्त यह है कि वर्तमान अध्यापक जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्याताएं नहीं रखते हैं, वे 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं अर्जित करेंगे ।

(vii) अधिनियम की धारा 24(1) के अर्न्तगत अध्यापक अपने विनिर्दिष्ट दायित्व निवर्हन करेगा ।

(viii) अध्यापक अपने आप को निजी शैक्षिक कार्यकलापों (प्राइवेट टयूशन) में नहीं लगाएगा ।

7. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर सिलेबस का अनुसरण करेगा ।

8. विद्यालय शिक्षा के लिये त्रिभाषा सूत्र का पालन करेगा ।

9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र कि विद्यालय भवन नवीनतम राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार निर्मित किया गया है, तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

10. विद्यालय की प्रबन्धकारिणी विद्यालय के प्रबन्धक और जिला शिक्षा अधिकारी (उप–शिक्षा निदेशक, सम्बन्धित मण्डल) के नाम पर संयुक्त खाता सावधि जमा राशि के रूप में एक आरक्षित निधि सृजित करेगा, जिसमें इस पत्र के जारी होने से तीन माह के भीतर स्टाफ के तीन माह के वेतन या एक लाख रूपये तथा 80 रूपये प्रति विद्यार्थी के बराबर राशि होगी ।

11. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि अग्नि सुरक्षा उपकरण एवं प्रबन्ध शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों /परिपत्रों के अनुसार बनाए गए हैं ।

12. विद्यालय के विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिये किए गए प्रबन्धों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों का विद्यालय अनुपालन करेगा ।

13. स्टाफ को वेतन रेखांकित चैक/इलैक्ट्रानिक क्लीयरेंस प्रणाली से दिया जाएगा ।

14. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट मानकों और मानदण्डों का पालन करेगा । पिछले निरीक्षण के समय बताई गई सुविधाएं निम्न प्रकार हैं :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल --
कुल निर्मित क्षेत्रफल --

खेल के मैदान का क्षेत्रफल --

कमरों की संख्या--

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार के लिए कमरे --

लड़के और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय --

पीने के पानी की सुविधा--

दोपहर का भोजन पकाने के लिए रसोई--

अवरोध मुक्त पहुंच --

शिक्षण सामग्री /खेल सम्बन्धी उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता --

15. उसी विद्यालय के नाम से विद्यालय परिसर या उसमें बाहर कोई भी गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाईं जाएगीं

16. विद्यालय भवन या अन्य ढांचों या मैदानों का उपयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए ही किया जाएगा ।

17. विद्यालय, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत सोसायटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक न्यास द्वारा चलाया जाता हो ।

18. विद्यालय किसी व्यक्ति विशेष, समूह या व्यक्तियों की संस्था या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं चलाया जा रहा हो ।

19. चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा की जानी चाहिए तथा उन्हें प्रमाणित किया जाना चाहिए एवं नियमानुसार उचित लेखा विवरण तैयार किया जाना चाहिए ।

20. आपके विद्यालय को आबंटित किया गया मान्यता कोड संख्या.....है ।

21. विद्यालय, शिक्षा निदेशक /जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर यथापेक्षित रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तथा समुचित सरकार /स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे निदेशों का पालन करता है, जो मान्यता में जारी रखने की शर्तों को पूरा करने या विद्यालय की कार्य प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाते हैं ।

22. सोसायटी के पंजीकरण का नवीनीकरण (यदि हो) सुनिश्चित किया जाए ।

23. संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अन्य शर्तें ।

भवदीय

(जिला शिक्षा अधिकारी)